M-DEVELOPMENT

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

जिला विकास कार्यालय, मधुबनी

निरीक्षण की तिथि :— 05.10.2001

निरीक्षी पदा0 का नाम :— डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 5-10-2001 को जिला विकास प्रशाखा, मधुबनी का किये गये निरीक्षण में संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

==========

1- परिचय :

मधुबनी जिला का सृजन बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 7217-2060/72 के०ए०-1027-14, दिनांक 1-12-1972 के द्वारा हुआ । तदनुसार यह जिला दिनांक 01-12-1972 से कार्यरत है एवं जिला विकास प्रशाखा भी उसी तिथि से कार्यरत है ।

इस जिला में 5 अनुमण्डल, 21 प्रखण्ड, 18 थाना, 18 सहायक थाना, 4 टी०ओ०पी० एवं 399 पंचायतें हैं । मधुबनी जिला का कुल क्षेत्रफल 3501 वर्ग किलोमीटर है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 3480.5 वर्ग किलोमीटर एवं शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 20.5 किलोमीटर है । यह पश्चिम से पूरब 91 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 64 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2 प्रतिशत है ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मधुबनी जिला की कुल जनसंख्या 35, 70, 651 है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

कुल पुरूष की जनसंख्या	-	18, 37, 361
कुल महिलाओं की जनसंख्या	-	17, 33, 290
कुल ग्रामीण जनसंख्या	-	34, 46, 248
कुल ग्रामीण पुरूष की जनसंख्या	-	17, 71, 686
कुल ग्रामीण महिला की जनसंख्या	-	16, 74, 562
कुल शहरी जनसंख्या	-	01, 24, 403
कुल शहरी पुरूष की जनसंख्या	-	65, 675
कुल शहरी महिला की जनसंख्या	-	58, 728
कुल गाँवों की संख्या	-	01, 189

2- भवन :

पूर्व में जिला विकास प्रशाखा समाहरणालय भवन में कार्यरत था । वर्तमान में यह प्रशाखा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अभिकरण भवन के नीचली मंजिल में कार्यरत है एवं जगह पर्याप्त है ।

लगातार...2

नहीं दिये हैं । यह अत्यन्त ही खेद का विषय है । स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि इन स्थानान्तरित कर्मचारियों को दो दिनों के अन्दर योगदान दिलाना सुनिश्चित करें अन्यथा उन्हें निलंबित कर दिया जायगा ।

क्रमांक	नाम	पदनाम	सम्प्रति पदस्थापन का स्थान
1-	श्री रामफल मोची	प्रधान सहायक	अंचल कार्यालय, बेनीपट्टी
2-	श्री चितेश्वर चौधरी	सहायक	प्रखण्ड कार्यालय, झंझारपुर
3-	श्री राम कृष्ण प्रसाद	सहायक	अंचल कार्यालय, खजौली
4-	श्री जितेन्द्र कुमार	सहायक	अंचल कार्यालय, राजनगर

जिला विकास प्रशाखा में सहायकों की कमी को देखते हुए जिला योजना कार्यालय के 3 सहायकों को जिला विकास प्रशाखा का भी कुछ कार्य सौंपा गया गया । उपर्युक्त कार्यरत सहायकों (क्रमांक 4 को छोड़कर) के वेतन का भुगतान जिला स्थापना प्रशाखा से होता है तथा उनकी सेवा-पुस्त भी वहीं संधारित की गई है ।

शीर्ष 2505-एन0आर0ई0पी0 के अन्तर्गत तृतीय वर्ग के 5 तथा चतुर्थ वर्ग के 6 कर्मचारी हैं जिनमें तृतीय वर्ग में 5 तथा चतुर्थ वर्ग में 3 कर्मचारियों का वेतन जिला विकास प्रशाखा से भुगतान किया जाता है एवं उनके सेवा-पुस्तों का संधारण भी जिला विकास प्रशाखा में ही होता है । सभी सेवा-पुस्त 31-3-2001 तक सत्यापित है । अगला सत्यापन 31-3-2002 को किया जायगा ।

जनसेवकों का स्थापना मुख्य रूप से प्रखण्ड में रहता है परन्तु इनका स्थानान्तरण आदि जिला स्तर से ही होता है । इस जिला में जनसेवकों का कुल स्वीकृत बल 264 के विरूद्ध वर्तमान में 84 जनसेवक कार्यरत है तथा 180 पद रिक्त है ।

इस जिला में शीर्ष 2505-एन0आर0ई0पी0 के अन्तर्गत 8 सहायक अभियन्ताओं का पद सृजित है जिसके विरूद्ध 6 सहायक अभियन्ता पदस्थापित हैं । एक कार्यपालक अभियन्ता का पद सृजित है, जो उनके निलंबन के फलस्वरूप रिक्त है । शीर्ष 2505-एन0आर0ई0 पी0 के अन्तर्गत 20, शीर्ष 2515-सा0 वि0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 एवं ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल के अन्तर्गत 16 कनीय अभियन्ताओं का पद सृजित है जिसके विरूद्ध क्रमशः 11, 11 एवं 8 कनीय अभियन्ता पदस्थापित हैं तथा क्रमशः 9, 9 एवं 8 पद रिक्त है । इन रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता के पदस्थापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 580/विकास, दिनांक 19-8-2000, 859/वि0, दिनांक 22-5-2001 एवं 178 मु0/विकास, दिनांक 2-7-2001 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को लिखा गया है । प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में स्मार का प्राप्य अविलम्ब उपस्थापित करेंगे ।

लगातार...4

3- प्रभार :

श्री अवध किशोर मोदी, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मधुबनी, इस प्रशाखा के वरीय प्रभार में हैं । इससे पूर्व श्री पुरन्दर प्रसाद गुप्ता, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मधुबनी वरीय, प्रभार में थे । डा0 इन्द्रजीत चौरसिया, जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी दिनांक 10-6-2000 से जिला विकास प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी के प्रभार में हैं । इसके पूर्व श्री नागेश्वर प्रसाद गुप्त, जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे । श्री धीर नारायण सिंह, प्रवर कोटि सहायक दिनांक 7-7-2001 से प्रधान सहायक के रूप में कार्यरत हैं जिन्हें स्थानान्तरण के फलस्वरूप जिला स्थापना प्रशाखा में योगदान करने हेतु दिनांक 1-10-2001 के पूर्वाह्न में विरमित किया जा चुका है परन्तु कार्यालय में कर्मियों को मद्देनजर रखते हुए जिला स्थापना प्रशाखा के कार्यों के अतिरिक्त प्रतिस्थानी के योगदान करने तक जिला विकास प्रशाखा के भी प्रधान सहायक का कार्य सम्पादन करने का निदेश दिया गया है । श्री रामफल मोची, प्रधान सहायक, अंचल कार्यालय, बेनीपट्टी अभीतक जिला जिला विकास प्रशाखा में योगदान नहीं दिये हैं । स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि श्री मोची को दो दिनों के अन्दर योगदान दिलाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

4- स्थापना :

जिला विकास प्रशाखा में 8 सहायकों का पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध निम्नांकित सहायक पदस्थापित हैं :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापन की तिथि	अनुयुक्ति
1-	श्री राज कुमार सिंह	सहायक	-	दिनांक 5-10-2001 के अप0 से विरमित हो चुके हैं
2-	श्री राम विनय मंडल	सहायक	30-7-2001	-
3-	श्रीमती वीणा दास	सहायक	22-9-2001	जिला ग्रामीण विकास अभि0 में प्रतिनियुक्त
4-	श्री मनीष कुमार	सहायक	-	प्रतिनियुक्त

इसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रधान सहायक एवं सहायक का पदस्थापन इस प्रशाखा में किया गया है, परन्तु अभीतक योगदान

लगातार....3

इस जिला में कुल 21 प्रखण्ड हैं जिसके विरूद्ध 15 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ही पदस्थापित हैं । शेष प्रखण्ड यथा, फुलपरास, मधेपुर, कलुआही, मधवापुर, बाबूबरही एवं खुटौना में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है । स्वीकृत पद एवं पदस्थापन की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	नियमित / प्रभारी	योगदान की तिथि
1-	रहिका	श्रीमती कंचन बिहारी	नियमित	5-7-2001
2-	पण्डौल	श्री रजनी कान्त	नियमित	11-9-1997
3-	बाबूबरही	श्री छंगुरी मंडल	प्रभारी	13-4-2000
4-	राजनगर	श्री देव नन्दन राम	नियमित	1-1-2001
5-	खजौली	श्री इन्द्र देव राम	नियमित	16-1-2001
6-	कलुआही	श्री रजनी कान्त	प्रभारी	14-8-2001
7-	बेनीपट्टी	श्री सुधीर कुमार राय	नियमित	6-7-2001
8-	बिस्फी	श्री किशोर कुमार	नियमित	6-7-2001
9-	हरलाखी	श्री जवाहर प्रसाद	नियमित	10-5-1999
10-	मधवापुर	श्री पंकज कुमार सिंह	प्रभारी (परोक्षयमान)	25-7-2001
11-	जयनगर	श्री उमेश कुमार चौधरी	नियमित	31-5-2001
12-	बासोपट्टी	श्री रंगनाथ चौधरी	नियमित	8-10-1998
13-	लदनियाँ	श्री जय किशोर प्रसाद	नियमित	15-1-2001
14-	झंझारपुर	श्री विमल कुमार मंडल	नियमित	4-3-1997
15-	अंधराठाढ़ी	श्री जगत नारायण प्रसाद	नियमित	6-2-2001
16-	लखनौर	श्री वीरेन्द्र कुमार	नियमित	18-1-2001
17-	मधेपुर	श्री वीरेन्द्र कुमार	प्रभारी	-
18-	खुटौना	श्री नन्द किशोर वर्मा	प्रभारी	

लगातार....5

19-	फुलपरास	श्री कुमार सिधिलेश प्रसाद	प्रभारी	7-1-2000
20-	घोघरडीहा	श्री दुर्गानन्द झा	नियमित	31-12-1999
21-	लौकही	श्री अरविन्द कुमार	नियमित	27-12-2000

स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के रिक्त स्थान पर पदस्थापन हेतु आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सम्बोधित पत्र का प्रारूप अविलम्ब उपस्थापित करेंगे ।

5- पूर्व निरीक्षण :

इस कार्यालय का पूर्व में निम्नांकित पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण उनके नाम के सामने अंकित तिथियों को किया गया :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	17-1-1981	4-2-1981	20-4-1981
2-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	29-2-1984	20-3-1984	27-6-1985
3-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	12-2-1985	18-3-1985	5-7-1985
4-	जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी	7-3-1982	13-3-1982	14-9-1982
5-	कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	28-4-1995	8-5-1995	13-7-1995

सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग रक्षी संचिका संधारित है । निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा दिनांक 29-2-1984 को किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 20-3-1984 को प्राप्त हो चुकी है परन्तु उसका अनुपालन प्रतिवेदन लगभग 15 महीनों के बाद भेजा गया है । इसी प्रकार उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा दिनांक 12-2-85 को एवं जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 7-3-82 को किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन बिलम्ब से भेजा गया है । सामान्यतः निरीक्षण टिप्पणी की प्राप्ति के एक महीने के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । यदि पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन संभव नहीं हो तो कम-से-कम अंतरिम अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य भेज

लगातार...6

देना चाहिए ।

वर्ष 1985 के बाद उप विकास आयुक्त, मधुबनी, वर्ष 1982 के बाद जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अभीतक इस कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो चिन्ता का विषय है। उप विकास आयुक्त, मधुबनी एवं जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी इस प्रशाखा का वर्ष में कम-से-कम एक बार निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे । प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास द्वारा प्रारम्भ से लेकर अभीतक एकबार भी इस प्रशाखा का निरीक्षण नहीं किया गया है । बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 52 एवं 82 के अनुसार प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को अपने प्रशाखा का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना है । प्रभारी पदाधिकारी भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

6- पत्राचार :

इस कार्यालय में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की दो पंजियाँ यथा एक मुख्य तथा एक साधारण संधारित है । विगत तीन वर्षों में पत्राचार की स्थिति निम्न प्रकार है :-

प्राप्त पत्रों की पंजी

क्रमांक	वर्ष	साधारण	मुख्य	कुल
1-	1998	1078	633	1711
2-	1999	568	471	1039
3-	2000	1433	638	2071
4-	2001	1362	863	2225

निर्गत पत्रों की पंजी

1-	1998	1474	289	1763
2-	1999	787	120	907

लगातार...7

3-	2000	987	496	1483
4-	2001	2138	276	2414

इस वर्ष निरीक्षण की तिथि तक 1361 साधारण एवं 864 मुख्य अर्थात कुल 2225 पत्र प्राप्त हुए हैं । सहायकों के लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि कुल 2318 पत्र इस वर्ष प्राप्त हुए हैं । कुल 93 पत्रों का अन्तर आ रहा है । प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास दो दिनों के अन्दर जाँचकर प्रतिवेदित करेंगे कि 93 पत्रों का अन्तर क्यों आ रहा है, उन्हें प्राप्त पत्रों की पंजी में क्यों नहीं इन्द्राज किया गया है । भविष्य में यह ध्यान रखेंगे कि जितने भी पत्र प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राप्त पत्रों की पंजी में इन्द्राज किया जाय एवं प्राप्त पत्रों की पंजी तथा लॉग बुक में पत्रों की संख्या में एकरूपता हो ।

7- कर्म-पुस्त :

सभी सहायकों के लिए कर्म-पुस्त संधारित है

8- लंबित पत्रों की सूची :

लंबित पत्रों की सूची नहीं बनाई जा रही है । निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह के अन्त में लंबित पत्रों की सूची बनाई जाय एवं प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित कर, उनसे निदेश प्राप्त कर निष्पादन की कार्रवाई की जाय ।

9- रक्षी संचिका :

महत्वपूर्ण पत्रों/सरकारी निदेशों से संबंधित अलग-अलग रक्षी संचिका संधारित नहीं की जा रही है । प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि महत्वपूर्ण पत्रों/सरकारी निर्देशों से संबंधित अलग-अलग रक्षी संचिका 6(छः) प्रतियों में संधारित की जाय । इनमें से एक प्रति जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, प्रभारी पदाधिकारी, प्रधान सहायक एवं एक प्रति संबंधित कार्यवाहक सहायक के पास रहेगी ।

10-अनुक्रमणिका पंजी :

पंचांग वर्ष 2001 के लिए अनुक्रमणिका पंजी वर्णमाला क्रमानुसार संधारित है परन्तु लिखावट अच्छी नहीं है । इसे अच्छी

लगातार...8

लिखावट अथवा टंकित कर संधारित करें । कुल 34 विषयों पर संचिका संधारित है । अनुक्रमणिका पंजी के अनुसार संचिकाओं की संख्या सही है । वर्ष 2002 के लिए वर्णक्रमानुसार अनुक्रमणिका पंजी तैयार कर रखें ।

11- कार्य-तालिका :

इस कार्यालय में सहायकों के लिए कार्य-तालिका संधारित की जा रही है । वर्तमान में कुछ सहायकों का स्थानान्तरण हो गया है । नये सहायकों के लिए कार्य का आवंटन अविलम्ब कर दिया जाय । प्रत्येक सहायक के पास जितनी संचिकाएँ हैं, उनका मिलान अनुक्रमणी पंजी में दर्ज संचिकाओं से होनी चाहिए एवं एकरूपता रहनी चाहिए ।

पत्रांक 1974/गो0, दिनांक 01 सितम्बर, 2001 द्वारा बिहार अभिलेखागार हस्तक के नियम 185 के अनुसार पूर्व की संचिकाओं का वर्गीकरणकर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था जिसका अनुपालन अभीतक नहीं किया गया है । प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त नियम के अनुसार पूर्व की संचिकाओं को वर्गीकृतकर निष्पादित करें एवं एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

12- आवेदन पत्र पंजी :

आवेदन पत्रों की पंजी संधारित है एवं संबंधित विभागों से प्रतिवेदन प्राप्तकर समुचित कार्रवाई की जा रही है ।

13- पंजियों की पंजी :

इस प्रशाखा में दो प्रकार की पंजी यथा प्राधिकृत पंजी एवं अप्राधिकृत पंजी का संधारण किया जा रहा है । संधारण संतोषजनक है ।

14- सेवानिवृत कर्मचारियों को देय लाभ :

जिला विकास प्रशाखा में एन0आर0ई0पी0 एवं आर0ई0ओ0 विभाग के सहायक अभियन्ता तथा कनीय अभियन्ता के पदस्थापन, स्थानान्तरण एवं भुगतान का अनुश्रवण किया जा रहा है । प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इन विभागों के सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ताओं की एक सूची अविलम्ब बना लें, जो अगले तीन वर्षों के अन्दर सेवा-निवृत होनेवाले हैं । इनके सेवा-निवृत लाभ के भुगतान संबंधी कार्रवाई पूर्व से ही प्रारम्भ कर दी जाय क्योंकि 2-3 मामलों में जिला पदाधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा है एवं विकट स्थिति का सामना करना पड़ा है । साथ ही यदि कोई मामला

लगातार...9

लंबित हो तो उसका निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

15- आवंटन पंजी :

आवंटन पंजी अलग से संधारित है । शीर्ष 2515-क-जिला पंचायत (उप विकास आयुक्त) के अन्तर्गत 5,17,000/-रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसमें से 2,90,265/-रूपये व्यय हो चुका है तथा 2,26,735/-रूपये अवशेष है ।

शीर्ष-2515-ख- सामुदायिक विकास अन्तर्गत एक चरण में (विभिन्न इकाईयों में) कुल 4,72,93,000/-रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे सभी प्रखण्डों को उपावंटित कर दिया गया है ।

शीर्ष-2505-ग-एन0आर0ई0पी0- अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल 30,00,000/-रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसमें से 21,00,000/-रूपये सभी प्रखण्डों एवं कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0 को उपावंटित किया जा चुका है तथा 9,00,000/-रूपये जिला कार्यालय के लिए रखा गया है एवं इसके विरूद्ध 7,97,504/-रूपये व्यय हो चुके हैं ।

शीर्ष-4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माननीय विधायक की अनुशंसा पर ली जानेवाली योजनाओं के लिए कुल 8,25,00,000/-रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसमें से 6,00,00,000/-रूपये निकासी कर प्रबंध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को हस्तगत करा दिया गया है । सरकारी निदेशानुसार जिन माननीय विधायक के कोष में गत वित्तीय वर्ष तक प्राप्त राशि का अवशेष 10 लाख रूपये से अधिक है, की निकासी नहीं की जानी है । यही कारण है कि आवंटन के अनुरूप निकासी नहीं की गई है । इन विधायकों में श्री देव नारायण यादव, श्री राम कुमार यादव एवं श्री जगत नारायण सिंह हैं ।

माननीय पार्षद की अनुशंसा पर ली जानेवाली योजनाओं के लिए कुल 2,03,50,000/-रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे शत-प्रतिशत निकासीकर प्रबन्ध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को हस्तगत करा दिया गया है ।

16- प्रोत्साहन भत्ता :

गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करनेवाले लाल कार्डधारी अभिभावकों के वर्ग । से 5 तक में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन भत्ता की राशि 24 लाख रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुआ जिसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी में जमा कर सभी प्रखण्डों को उपावंटितकर चेक द्वारा छात्र-छात्राओं के बीच वितरण हेतु भेजा गया है । प्रभारी पदाधिकारी सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर 15 दिनों के अन्दर उपस्थापित करेंगे ताकि समेकित अनुपालन प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा सके ।

लगातार...10

17- पोषाहार :

राष्ट्रीय पोषाहार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अद्यतन (अप्रील 2001 से सितम्बर 2001 तक) कुल 50543.08500 क्विंटल आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध राज्य खाद्य निगम द्वारा कुल 42872.3400 क्विंटल खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है । प्रखण्ड गोदामों से संबंधित विद्यालयों में गेहूँ पहुँचाने हेतु परिवहन व्यय की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रशासनिक मद/स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से उपावंटित की गई है । प्रभारी पदाधिकारी सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्तकर 15 दिनों के अन्दर उपस्थापित करेंगे ।

18- विधान सभा / लोक सभा प्रश्न :

विधान सभा एवं लोक सभा प्रश्नों के लिए एक पंजी तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग-अलग संचिका संधारित है । विधान सभा / विधान परिषद एवं लोक सभा/राज्य सभा के तारांकित, अतारांकित एवं अल्प सूचित प्रश्नों, निवेदन, आश्वासन तथा ध्यानाकर्षण की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	प्रश्न का विवरण	कुल प्राप्त प्रश्नों की संख्या	निष्पादित	लंबित
1-	तारांकित प्रश्न	29	12	17
2-	अतारांकित प्रश्न	-	-	-
3-	निवेदन	17	05	12
4-	आश्वासन	14	03	11
5-	अल्प सूचित प्रश्न	06	03	03
6-	ध्यानाकर्षण	03	-	03
7-	याचिका	02	0	02
8-	लोक सभा प्रश्न	03	-	03
9-	राज्य सभा प्रश्न	01	-	01

लगातार...11

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 52 मामले(प्रश्न) लंबित हैं । प्रभारी पदाधिकारी एक माह के अन्दर लंबित मामलों का निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

19- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :

इस जिला में दो लोक सभा सदस्य, एक राज्य सभा सदस्य तथा कुछ अन्य जिलों के राज्य सभा सदस्यों के द्वारा विभिन्न योजनाओं की अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन जिला के विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से कराया जाता है । वित्तीय वर्ष 2001-2002 में भारत सरकार से निम्नलिखित माननीय सांसद के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद में राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संपोषित बैंक खाते में जमा कराया गया है । विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	माननीय सांसद का नाम	1-4-2001 को अवशेष राशि	2001-2002 में प्राप्त आवंटन	कार्यएजेंसियों द्वारा लौटाई गई राशि	अर्जित सूद की राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय की गई राशि (जिला/अन्य जिला)	अवशेष राशि
1-	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3.694	250.000	3.417	3.385	260.496	144.298	116.198
2-	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	-13.440	350.000	4.350	4.246	345.156	292.305	292.305
3-	श्री रामदेव भंडारी	- 2.962	300.000	8.892	5.743	311.673	234.993	76.680

20- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :

इस योजनान्तर्गत सरकार द्वारा आवंटन सीधे मधुबनी नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति, झंझारपुर/घोघरडीहा एवं जयनगर को उपलब्ध कराया जाता है । जिला स्तर से मात्र स्वीकृति दी जाती है । प्राप्त आवंटन, व्यय की गई राशि एवं अवशेष राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति का नाम	1-4-2001 को उपलब्ध राशि	2001-02 में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध राशि	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि
1-	मधुबनी नगरपालिका, मधुबनी	25,76,819	-	25,76,819	17,04,267	8,72,552
2-	अधिसूचित क्षेत्र समिति, जयनगर	11,35,716	-	11,35,716	2,71,634	9,24,082

लगातार...12

3-	अधिसूचित क्षेत्र समिति, झंझारपुर	7,51,395	-	7,51,395	-	7,51,395
4-	अधिसूचित क्षेत्र, समिति, घोघरडीहा	6,00,930	-	6,00,930	1,76,979	4,23,951

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि मधुबनी नगरपालिका के पास 8,72,552 रूपये, अधिसूचित क्षेत्र समिति, जयनगर के पास 9,24,082/-रूपये, अधिसूचित क्षेत्र समिति, झंझारपुर के पास 7,51,395/-रूपये एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति, घोघरडीहा के पास 4,23,951/-रूपये अवशेष पड़े हुए हैं । अधिसूचित क्षेत्र समिति, झंझारपुर द्वारा इस वित्तीय वर्ष में अभीतक कुछ भी राशि व्यय नहीं की गई है । प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास विशेष पदाधिकारी, मधुबनी नगरपालिका एवं अध्यक्ष, अधिसूचित क्षेत्र समिति, जयनगर, झंझारपुर एवं घोघरडीहा को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र भेजवाना सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त राशि को जनोपयोगी योजनाओं में शीघ्र खर्च करें तथा यह भी स्पष्ट करें कि यह राशि किस परिस्थिति में अवशेष पड़ी हुई हैं ।

21- दशम वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचालित योजनाएँ :

दशम वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राथमिक विद्यालयों में चापाकल एवं शौचालय निर्माण हेतु सरकार से राशि प्राप्त हुई थी जिसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया गया है । इसके अतिरिक्त बालिका बिहार, बालिका शिक्षा केन्द्र (आवासीय) एवं बालिका कोचिंग सेंटर के लिए भी राशि प्राप्त हुई थी जिसका उपयोग प्रखण्डों के माध्यम से किया गया है । बालिका शिक्षा बर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 31.170 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध 17.140 लाख रूपये व्यय किये गये हैं । 14.030 लाख रूपये अवशेष बचे हुए हैं । प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बालिका बिहार एवं बालिका शिक्षा केन्द्र कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है । प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चापाकल के निर्माण की 198 योजनाएँ अपूर्ण हैं । इसी प्रकार मध्य विद्यालयों में शौचालय निर्माण की 35 योजनाएँ अपूर्ण हैं । कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मधुबनी को निर्देश दिया जाए कि इन अपूर्ण योजनाओं को एक माह के अन्दर पूर्णकर अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

22- अल्प संख्यक कल्याण :

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कियोस्क निर्माण हेतु 4 लाख रूपये एवं अल्प संख्यक कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु 20 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई थी । प्राप्त राशि से 10 कियोस्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा छात्रावास निर्माण

लगातार...13

कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2000-2001 में छात्रावास निर्माण हेतु 60 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त है जिसकी निकासी कर ली गई है तथा यह राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के जमा है । वर्ष 2001-2002 में कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु 5 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसकी निकासी कर निर्देशानुसार शीर्ष 8443-सिविल डिपोजिट में जमा किया गया है । इस राशि की निकासी हेतु विभाग से अनुमति की माँग की गई है, जो अप्राप्त है । अल्प संख्यक कल्याण संबंधी योजनाओं की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	योजना का नाम	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	प्राक्कलित राशि	उपावंटित राशि	कार्य की स्थिति
1- क-	मधुबनी नगरपालिका क्षेत्र में 8 कियोस्क का निर्माण	विशेष पदाधिकारी, नगरपालिका मधुबनी ।	3.20	3.20	पूर्ण
ख-	सकरी बाजार में 2 कियोस्क का निर्माण	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पण्डौल	0.80	0.80	पूर्ण
2-	अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण	कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी ।	30.00	20.00	लिंटल स्तर तक

जिला स्तरीय अल्पसंख्यक वित्त पोषण समिति द्वारा टर्म लोन योजनान्तर्गत 9 एवं रिभाइज्ड लेंडिंग पॉलिसी योजना अन्तर्गत 7 व्यक्तियों की अनुशंसा की गई है । कार्रवाई प्रगति पर है ।

विभिन्न प्रखण्डों से कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इस हेतु वर्तमान में कोई राशि उपलब्ध नहीं है । आवंटन की माँग की गई है ।

23- 20 सूत्री कार्यक्रम :

20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार पटना तथा आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को भेजा जाता है । माह अगस्त, 2001 का प्रगति प्रतिवेदन भेजा जा चुका है । माह सितम्बर, 2001 का प्रगति प्रतिवेदन इस माह की 15 वीं तारीख तक भेज दिया जायगा । जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की गत बैठक दिनांक 16-7-2001 को सम्पन्न हुई थी ।

लगातार...14

24- राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम :

राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मधुबनी जिला के शहरी निकायों को 113.95 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं जिसके विरूद्ध 57.03 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं । विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	निकाय का नाम	1-4-2001 को उपलब्ध राशि	वर्ष 2001-2002 में प्राप्त आवंटन	कुल उपलब्ध राशि	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि
1-	नगरपालिका, मधुबनी	12,89,000	80,32,000	93,21,000	47,09,000	46,12,000
2-	अधिसूचित क्षेत्र समिति, जयनगर	-	16,98,000	16,98,000	9,94,000	7,04,000
3-	अधिसूचित क्षेत्र समिति, झंझारपुर	-	4,63,000	4,63,000	-	4,63,000
4-	अधिसूचित क्षेत्र समिति, घोघरडीहा	-	12,02,000	12,02,000	-	12,02,000
	कुल योग :-	12,89,000	1,13,95,000	1,28,84,000	67,03,000	69,81,000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस योजनान्तर्गत एक बहुत बड़ी राशि अवशेष पड़ी हुई है । अतएव सभी शहरी निकायों को निर्देश दिया जाय कि एक माह के अन्दर व्यापक हित की योजनाएँ स्वीकृत कर कार्यान्वित करावें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें ।

25- बालिका समृद्धि योजना :

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मधुबनी जिला के शहरी क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था । पूर्ण राशि का उपयोग कर 250 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है ।

26- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मधुबनी जिला के भारत-नेपाल सीमावर्ती प्रखण्डों के विद्यालयों में भवन निर्माण, पेयजल एवं शौचालय निर्माण हेतु 53.12 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे संबंधित 7 प्रखण्डों के कुल 16 विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय 3.30 लाख रूपये की दर से संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को राशि उपलब्ध करा दी गई है । संबंधित सभी विद्यालयों

लगातार...15

में शैक्षणिक सामग्रियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रति विद्यालय 2000/-रूपये की दर से कुल 32,000/-रूपये जिला शिक्षा अधीक्षक, मधुबनी को उपलब्ध कराया जा चुका है । प्रभारी पदाधिकारी सभी कार्यकारी एजेंसियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करेंगे ।

27- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण :

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस जिला को विद्यालय भवन निर्माण हेतु 33.00 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे 7 प्रखण्डों में 10 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 3.30 लाख रूपये की दर से संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को कुल 33.00 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है । कार्य प्रगति पर है ।

28- प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत शौचालय एवं पेयजल निर्माण :

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस जिला को विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था हेतु 16.20 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे 15 प्रखण्डों के कुल 36 विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल निर्माण के लिए प्रति विद्यालय 0.45 लाख रूपये की दर से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कुल 16.20 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है । प्रभारी पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र की माँग की प्रस्तुत करेंगे ।

29- प्रतिवेदन का प्रेषण :

इस प्रशाखा से प्रत्येक माह निम्नांकित समेकित प्रगति प्रतिवेदन संबंधित विभागों को भेजा जाता है :-

1- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
2- 20 सूत्री कार्यक्रम (जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति)
3- प्रमण्डलीय स्तर पर समन्वय समिति का प्रगति प्रतिवेदन
4- राष्ट्रीय पोषाहार योजना
5- दशम वित्त आयोग से संबंधित प्रतिवेदन
6- प्रोत्साहन भत्ता वितरण से संबंधित प्रतिवेदन

लगातार...16

इसके अतिरिक्त विकास प्रशाखा द्वारा जिला समन्वय समिति की मासिक बैठक, 20 कार्यक्रम की बैठक आयोजित की जाती है एवं उसका अनुश्रवण करते हुए प्रतिवेदन भेजा जाता है । प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला समन्वय समिति की बैठक से संबंधित विभागवार अलग-अलग संचिका खोलें एवं समय-समय पर समीक्षाकर अधीहस्ताक्षरी को भी अवगत करावें ।

30- नजारत (रोकड़ बही) :

जिला विकास प्रशाखा का नजारत दिनांक 16-4-2001 से स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा रहा है । इसके पूर्व जिला विकास प्रशाखा का नजारत जिला नजारत प्रशाखा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा था । श्री अशोक कुमार, सहायक द्वारा नाजिर का कार्य संपादित किया जा रहा है ।

सामान्य रोकड़ बही टी0सी0 फार्म-6 में संधारित है । रोकड़ बही दिनांक 3-10-2001 तक लिखा गया है एवं प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है । सहायक रोकड़ पंजी शीर्षवार निम्न प्रकार संधारित किया गया है जिसका अंतशेष का ब्योरा इस प्रकार है :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	अंतशेष राशि
1-	2505 - जवाहर रोजगार योजना	39927.25
2-	2515 - सामुदायिक विकास (क)	-
3-	8005 - सामान्य भविष्य निधि	334256.00
4-	2071 - पेंशन	-
	कुल योग :-	374183.25

प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालय के आकस्मिक व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध नहीं रहने के कारण तत्काल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से 15,500/-रूपये दिनांक 4-8-2001 को उधार स्वरूप लिया गया है जिसे आवंटन प्राप्त होने पर लौटा दिया जायगा । इसी राशि से आकस्मिक / कार्यालय व्यय किया जा रहा है । इस राशि का संधारण शीर्ष 2505 - ज0रो0यो0 के उप रोकड़ पंजी में किया गया है । उधार ली गई राशि 15,500/-रूपये में से व्यय के पश्चात् दिनांक 3-10-2001 को 3,281.25 पैसे अवशेष हैं ।

लगातार...17

चूँकि अधिकांश योजनाओं का अनुश्रवण एवं विभिन्न बैठकों का आयोजन जिला विकास प्रशाखा से ही होता है, अतः आकस्मिक व्यय मद में राशि उपलब्ध नहीं रहने से कठिनाईयों का सामना करना स्वाभाविक है । स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि जिला स्तर पर उपलब्ध आवंटन (आकस्मिक मद) में से तत्काल 25,000/-रूपये जिला विकास प्रशाखा, मधुबनी को उपलब्ध कराने हेतु समुचित प्रस्ताव अविलम्ब उपस्थापित करेंगे ।

सांसद ऐच्छिक कोष से संबंधित योजनाओं का अनुश्रवण जिला विकास प्रशाखा से किया जा रहा है, परन्तु इससे संबंधित रोकड़ बही/अभिलेख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से ही संधारित किया जा रहा है, जो उचित नहीं है । अतएव निर्देश दिया जाता है कि सांसद ऐच्छिक कोष से संबंधित रोकड़ बही/अभिलेख अविलम्ब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से वापस लेकर जिला विकास प्रशाखा में ही संधारित किया जाय । इसी प्रकार दशम वित्त आयोग, प्रोत्साहन भत्ता, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, शहरी विकास योजना आदि से संबंधित रोकड़ बही/पंजी/अभिलेख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से वापस लेकर जिला विकास प्रशाखा में ही संधारित किया जाय एवं अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर भेजा जाय ।

31- अस्थायी अग्रिम :

श्री निर्मल पासवान, तत्कालीन सहायक के जिम्मे अस्थायी अग्रिम मो0 300/-रूपये बकाया है । प्रभारी पदाधिकारी श्री पासवान के नियंत्री पदाधिकारी से पत्राचार कर अग्रिम की राशि एक-मुश्त में वसूली करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

32- बैंक ड्राफ्ट :

शीर्ष 8005 - सामान्य भविष्य निधि उप रोकड़ पंजी में मो0 3,34,256/-रूपये अंतशेष है । श्री राम अवतार प्रसाद, से0नि0 सहायक अभियंता की सामान्य भविष्य निधि मद की अंतिम निकासी की राशि मो0 3,34,256/-रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में है । प्रभारी पदाधिकारी इस राशि को दो दिनों के अन्दर श्री प्रसाद को भुगतानकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

33- नकद राशि :

जिला विकास नजारत में 39,627.25 पैसे अवशेष है । यह राशि दिनांक 1-10-2001 एवं 3-10-2001 को शीर्ष-2505-ज0रो0यो0 मद में निकासी की गई वेतन मद की राशि 36,646/-रूपये एवं पूर्व से उपलब्ध आकस्मिकता मद की राशि 2,981.25/-

लगातार...18

रूपये कुल 39,627.25 पैसे हैं ।

34- उच्च न्यायालय से संबंधित मामला :

प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय से संबंधित 2 मामला लंबित है । संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है एवं प्रत्येक सप्ताह उसकी समीक्षा की जा रही है ।

35- अंकेक्षण :-

निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मधुबनी द्वारा बताया गया कि जिला समन्वय समिति की पिछली बैठक में लंबित अंकेक्षण से संबंधित विन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने हेतु सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है एवं इस आशय की प्रविष्टि बैठक की कार्यवाही में भी कर दी गई है एवं उनके स्तर पर मासिक समीक्षा की जा रही है ।

सामान्य :

1- कार्यालय की साफ-सफाई अच्छी है । पुरानी संचिकाओं का निष्पादन कर दिये जाने से कार्य-संस्कृति में गुणात्मक सुधार आयगा ।

2- मापी-पुस्तिकाएँ यों ही पड़ी हुई देखी गई । इसे अविलम्ब सभी प्रखण्डों में बराबर-बराबर भागों में विभक्तकर भेजवाना सुनिश्चित करें ।

3- प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रधान सहायकों के पदस्थापन की सूची (नाम/पद) सुन्दर अक्षरों में लिखवाकर दो दिनों के अन्दर टँगवाना सुनिश्चित करें ।

4- रक्षी संचिका की पंजी संधारित नहीं है । इसे अविलम्ब संधारित करें एवं इन्डेक्सिंग भी करें । तीन प्रकार की रक्षी संचिकाएँ संधारित की जाएँ यथा, सरकारी निर्देश, योजनाओं की स्वीकृति संबंधी एवं निरीक्षण से संबंधित रक्षी संचिका ।

निष्कर्ष :

जिला विकास प्रशाखा में संचिकाओं का संधारण, अनुश्रवण बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है । इसका कार्य-कलाप

लगातार...19

सराहनीय एवं अन्य प्रशाखाओं के लिए अनुकरणीय है । इस प्रशाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी श्री अवध किशोर मोदी, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मधुबनी एवं प्रभारी पदाधिकारी, डा० इन्द्रजीत चौरसिया का कार्य उत्कृष्ट रहा है ।

Rajendra 31.10.2001

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 2481 (5)/ गो० मधुबनी, दिनांक 31 अक्तूबर, 2001 ई० ।

1- प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2- प्रतिलिपि विकास आयुक्त, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3- प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
4- प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सूवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
5- प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
6- प्रतिलिपि निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
7- प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 31.10.2001

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।